

## कार्यालय जिला कलक्टर (भू.अ.) बारां

क्रमांक:एफ16(2)(15)भू.अ./एलआरसी/साइबर कैफे/10/10/340

दिनांक: 04.02.2010

### विज्ञप्ति

#### (साइबर कैफे के माध्यम से जमाबंदी की नकल जारी करने हेतु लाइसेन्स बाबत)

राजस्थान के समस्त कृषि भूमि के स्वामित्व का रिकार्ड (रिकार्ड ऑफ राईट्स) जमाबंदी के रूप में वेबसाइट पर उपलब्ध है। निजी क्षेत्र में कार्यरत साइबर कैफे को जमाबंदी से नकले जारी करने हेतु लाइसेंस देकर अधिकृत करना प्रस्तावित है।

लाइसेन्स फीस **वित्तीय वर्ष 2010-11** के लिए 200/-रूपये (सभी क्षेत्रों के लिये) तथा नवीनीकरण शुल्क 100/- रूपये होगा। साइबर कैफे से नकल देने की फीस 20/- रूपये प्रति पृष्ठ लेने हेतु अधिकृत होगा। सन्तोषप्रद कार्य पाये जाने पर लाइसेन्स प्रतिवर्ष नवीनीकृत किया जा सकेगा।

इच्छुक साइबर कैफे धारक को आवेदन पत्र के साथ एक वर्ष की लाइसेंस फीस बैंक ड्राफ्ट के द्वारा भेजनी होगी। बैंक ड्राफ्ट जिला कलक्टर(भू.अ.) बारां के नाम से भिजवाया जावे।

आवेदन पत्र जिला कलक्टर (भू.अ.) बारां के कार्यालय में दिनांक 10.03.2010 तक सांय 6.00 बजे तक स्वीकार किये जावेंगे। आवेदन पत्र व शर्तों का अवलोकन जिला कलक्टर (भू.अभिलेख) बारां के कार्यालय में तथा जिले की वेबसाइट [www.baran.nic.in](http://www.baran.nic.in) पर भी प्राप्त किया जा सकता है।

जिला कलक्टर (भू.अ.)  
बारां

दिनांक: 04.02.2010

क्रमांक:एफ16(2)(15)भू.अ./एलआरसी/साइबर कैफे/10/10/340

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर को 6 प्रतियों में प्रेषित कर निवेदन है कि इस विज्ञप्ति का प्रकाशन एक राज्य स्तरीय समाचार पत्र में न्यूनतम स्थान में, साधारण अक्षरो में एक दिवस के लिए शीघ्र प्रकाशित करवाने का श्रम करे।
2. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर
3. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी एन.आई.सी. 5318 उ0-पश्चिम ब्लाक शासन सचिवालय जयपुर
4. जिला कलक्टर .....
5. कोषाधिकारी, बारां
6. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी. बारां
7. उपखण्ड अधिकारी .....(समस्त) जिला बारां
8. तहसीलदार .....(समस्त) जिला बारां
9. नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु
10. रक्षित पत्रावली

जिला कलक्टर (भू.अ.)  
बारां

कार्यालय जिला कलक्टर (भू.अ.) बारों

साईबर कैफे से जमाबंदी खातों की नकल जारी करने के लिए लाईसेन्स हेतु आवेदन-पत्र

1. आवेदक का नाम .....
2. पता/पति का नाम.....
3. स्थायी पता .....
4. दूरभाष नं. ....(घर) ..... मोबाईल नं. ....
5. योग्यता .....

आवेदक का  
पासपोर्ट साईज  
का फोटो

6. क्षेत्र का नाम जिस स्तर हेतु लाईसेन्स लेना चाहता है .....

क्र.सं.	स्तर	वार्षिक निर्धारित शुल्क रूपयो में
1	जिला मुख्यालय एवं अन्यत्र (ग्राम/पटवार मण्डल/उप तहसील/तहसील) क्षेत्र के बारे में स्पष्ट विवरण अंकित किया जावे।	200
2	जिला/तहसील का नाम जिसके लिए आवेदन किया है।	

7. साईबर कैफे पर उपलब्ध हार्डवेयर का विवरण

क्र.सं.	हार्डवेयर	विवरण (Specification)
1	कम्प्यूटर	
2	प्रिन्टर	
3	मोडम/लीज लाईन	

8. आवेदक किस इन्टरनेट सेवा प्रदाता (ISP) का कनेक्शन उपयोग में ले रहा है .....

9. साईबर कैफे/केन्द्र का पूर्ण पता .....

नोट:- आवेदक अपनी एक अतिरिक्त फोटो भी संलग्न करे।

आवेदक के हस्ताक्षर

साईबर कैफे के माध्यम से जमाबंदियों की प्रतियां जारी करने बाबत लाईसेन्स नवीनीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र

सेवा में,

जिला कलक्टर(भू0अ0)  
बारां

मान्यवर,

निवेदन है कि राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा मुझे साईबर कैफे के माध्यम से जमाबन्दियों की नकले जारी करने हेतु लाईसेन्स जारी किया गया था। इसका नवीनीकरण दिनांक 01.04.2010 से 31.03.11 तक की अवधि के लिए कराना चाहता हूँ/चाहती हूँ। मूल लाईसेन्स की छायाप्रति संलग्न है।

1. लाईसेन्स नम्बर .....
2. लाईसेन्स धारी का नाम .....
3. पिता/पति का नाम .....
4. लाईसेन्स जिला मुख्यालय/अन्य हेतु है विवरण .....
5. साईबर कैफे का पता .....
- .....पिन कोड नं.....
6. डाक का पता .....
- .....पिन कोड नं.....
7. लाईसेन्स लेते समय जमा की गई फीस की राशि .....
8. नवीनीकरण राशि रूपये .....
9. डी.डी. का विवरण राशि रूपये .....डी.डी.नं. ....  
बैंक का नाम .....
10. टेलिफोन नं. ....मोबाईल नं. ....
11. ई-मेल आई.डी. ....

संलग्न :-

1. मूल लाईसेन्स की छायाप्रति
2. डी.डी.

दिनांक:-

लाईसेन्सधारी के हस्ताक्षर